प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 30.08.2024

थाना साईबर क्राईम, चन्दौली

थाना साइबर क्राइम की टीम द्वारा आवेदक से हुए धोखाधड़ी की धनराशि ₹ 4999/- वापस कराया गया

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक, चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आवेदक इमरान खान पुत्र जमेद अहमद खान निवासी- हमदानिया कालोनी, रवालपुरा, राज्य- जम्मू & कश्मीर के खाते से ₹ 4999/- स्टाक काल के माध्यम से आनलाइन धोखाधडी की गयी थी. जिसके सम्बन्ध में आवेदक इमरान खान उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली की ई-मेल आईडी पर प्राप्त प्रार्थना पत्र दिया गया। कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम, वीरेन्द्र कुमार की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि ₹ 4999/- को आवेदक के खातें में वापस कराया गया। आवेदक इमरान खान उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली व थाना साइबर क्राइम टीम को जरिये मेल धन्यवाद/आभार प्रकट किया गया है।

नाम पता आवेदक -

इमरान खान पुत्र जमेद अहमद खान निवासी हमदानिया कालोनी रवालपुरा जम्मू & कश्मीर

विवरण बरामदगी व फ्राड का दिनांक - 08.08.2024

वापस करायी गयी धनराशि रुपया 4999/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ0 नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

हे0का0 पवन कुमार यादव

का0 सन्तोष कुमार यादव

का0 मनोज चौहान

का0 अनिल कुमार का0 आशुतोष भारद्वाज

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 30.08.2024

थाना इलिया   जनपद चंदौली

थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 05 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) चन्दौली व क्षेत्राधिकारी चकिया चन्दौली के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 29.08.2024 को उस समय सफलता मिली जब माननीय न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया / माननीय न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड जनपद चन्दौली द्वारा जारी NBW वारंटी क्रमशः 1. रामचन्द्र पुत्र बन्सु हरिजन नि0 ग्राम इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली 2. रामजी पासवान पुत्र स्व चिल्लर पासवान नि0 ग्राम डेहरी खुर्द थाना इलिया जनपद चन्दौली 3. मुन्ना राम पुत्र जंगी राम निवासी ग्राम इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली 4. काशी नाथ पुत्र गजाधर यादव नि0 ग्राम बेन थाना इलिया जनपद चन्दौली 5. अमरनाथ पुत्र गजाधर यादव नि0 ग्राम बेन थाना इलिया जनपद चन्दौली की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 29.08.2024 को उनके घर पर दबिश दी गई तो वारंटी 1. रामचन्द्र उपरोक्त आदि 04 वारण्टियों को उनके घर से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.रामचन्द्र पुत्र बन्सु हरिजन नि0 ग्राम इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 52 वर्ष

सम्बन्धित मु0नं0-201/92 धारा 379/511 भा0द0वि0

2.रामजी पासवान पुत्र स्व चिल्लर पासवान ग्राम डेहरी खुर्द थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 50 वर्ष

मु0अ0सं0 209/18 धारा 363/366/342/304 भा0द0वि0

3.मुन्ना राम पुत्र जंगी राम निवासी ग्राम इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 48 वर्ष

मु0अ0सं0 201/92379/511 भा0द0वि0

4.काशी नाथ पुत्र गजाधर यादव नि0 ग्राम बेन थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 59 वर्ष

केस सं0 1793/1996 धारा 323/504 भा0द0वि0

5.अमरनाथ पुत्र गजाधर यादव नि0 ग्राम बेन थाना इलिया जनपद चन्दौली उम्र 62 वर्ष

केस सं0 1793/1996 धारा 323/504 भा0द0वि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज मय हमराह थाना इलिया जनपद चन्दौली।

प्रेस-नोट   जनपद चन्दौली

दिनांक-30.08.2024

◆चाक-चौबंद सुरक्षाव्यवस्था के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहनों की सघन चेकिंग हेतु चलाया गया विशेष अभियान

◆बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों व अलार्म की भी परखी जा रही व्यवस्था

◆बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

चन्दौली- जनपद चन्दौली में स्थित बैंकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों बाजारों व भीड़भाड़ वाले स्थानों की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत, श्री आदित्य लाग्हें पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बैंकों व उसके आसपास सघन चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में समस्त थाना क्षेत्र व थाना व चौकी प्रभारियों सहित चेकिंग हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस/ग्राहक सेवा केंद्र व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/ सर्राफा बाजार व उसके आसपास संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बैंकों में लगे अलार्म एवं सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया कि सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं या नही, शाखा प्रबंधक से इस सम्बन्ध में वार्ता की गयी। थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख प्वाइंटों पर संदिग्धों को चिन्हित करते हुए बैरियर लगाकर संदिग्ध बाइक सवारों व वाहनों को चेकिंग किया जा रहा है। बिना नंबर व गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। बैंक डयूटी में लगे पुलिसकर्मियों को चेक कर सतर्कतापूर्वक डयूटी करने हेतु निर्देश दिये गये। बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को बैंक परिसर से बाहर किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 30.08.2024

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

➡एसपी श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना मुगलसराय पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

➡चोरी/नकबजनी करने वाले गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही।

➡परवेश खान व सुहैल खान चोरी/नकबजनी करने जैसे अपराधो के है अभ्यस्त अपराधी

➡इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु चोरी/नकबजनी करने जैसे अपराध में सक्रिय है।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली एवं थाना मुगलसराय पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं चोरी/नकबजनी करने जैसे अपराध करने वालो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र मुगलसराय में चोरी/नकबजनी करने जैसे अपराध करने वाले अभियुक्तगण 1.परवेश खान पुत्र गुलाम गौस निवासी गोलाघाट, थाना रामनगर जनपद वाराणसी 2. सुहैल खान उर्फ इन्नी पुत्र अप्पू खान निवासी गोपालपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरूद्ध थाना मुगलसराय पर दिनाँक 29.08.2024 को मु0अ0सं0 363/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत करने के साथ चोरी/नकबजनी करने जैसे अपराध कारित कर अपने गिरोह को भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त कराया जाता है। उपरोक्त गैंग के सरगना/ सदस्य पर जनपद के थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में अभियोग पंजीकृत हैं।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

(गैंग लीडर) 1. परवेश खान पुत्र गुलाम गौस निवासी गोलाघाट, थाना रामनगर जनपद वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 43/2023 धारा 380 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 393/2022 थारा 457/380 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य) 2- सुहैल खान उर्फ इन्नी पुत्र अप्पू खान निवासी गोपालपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र करीब 25 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 43/2023 धारा 380 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 393/2022 थारा 457/380 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 30.08.2024

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली (सदर) विनय कुमार सिंह के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने व वारण्टियों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 30.08.2024 को थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । जिसके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरणः-

मुनवर अली पुत्र छोटक अली निवासी ग्राम रामगढ थाना बलुआ चन्दौली उम्र करीब 55 वर्ष सम्बन्धित वाद सं 201/24 अ0सं0 66/21 धारा 138(2) विद्युत अधि0

गिरफ्तारी का स्थानः-

वारण्टी का घर बहद ग्राम रामगढ थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. हे0का0 पारसनाथ यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. का0 रामजी पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. का0 विजय सरोज थाना बलुआ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 30.08.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

➡️एसपी श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना अलीनगर पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

➡️गोवंश की तस्करी करने जैसे अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना/गैंग के सदस्य, कुल 02 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अलीनगर द्वारा गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

➡️इन्द्रपाल व लल्लू शाह गोवंशो की तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध में है सलिप्त

➡️इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंशो की तस्करी

➡️ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर जनपद चन्दौली पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग सरगना व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1-इन्द्रपाल पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रामपुर अलीगंज बाजार थाना बन्धुआकला जनपद सुल्तानपुर उम्र 37 वर्ष (गैंग सदस्य) 2- लल्लू शाह पुत्र करीम शाह उर्फ करीम बक्श निवासी परसदेपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र 46 वर्ष के विरुद्ध नियमानुसार दिनांक 29.08.2024 को मु0अ0सं0-206/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत व गोवंशो की तस्करी कर अनाधिकृत रुप से भौतिक,आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उपरोक्त गैंग के सरगना/सदस्य पर जनपद के थाना अलीनगर जनपद चन्दौली में गोवंश नि0 अधि0 में अभियोग पंजीकृत है।

अपराधिक इतिहास का विवरण- (गैंग लीडर) 1. इन्द्रपाल पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम रामपुर अलीगंज बाजार थाना बन्धुआकला जनपद सुल्तानपुर उम्र 37 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 134/2023 .धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गो0नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 429 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 206/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य) 2- लल्लू शाह पुत्र करीम शाह उर्फ करीम बक्श निवासी परसदेपुर थाना सलोन जनपद रायबरेली उम्र 46 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं0- 134/2023 .धारा 3/5A/5B/8 उ0प्र0 गो0नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 429 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0- 206/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 30.08.2024

थाना चकरघट्टा   जनपद चन्दौली

थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा 03 वारंटी को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा वांछित /वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा अभियान के तहत वांछित /वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) अनिल कुमार यादव के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सर्किल नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी उ0नि0 धीरेन्द्र प्रताप सिह थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली के नेतृत्व में थाना चकरघट्टा पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा मु0नं0 143/92 धारा 323,325,504 भादवि थाना नौगढ जनपद चन्दौली से सम्बन्धित वारंटी रामचन्दर पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी खुर्द कुरा थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र 2. लल्लन पुत्र रामनाथ नि0ग्राम कुर्रा कला थाना पन्नूगंज जिला सोनभद्र उम्र 50 वर्ष 3.लालमनि पुत्र स्व0 बीफन नि0ग्राम परना कला थाना पन्नूगंज जिला सोनभद्र उम्र 60 वर्ष को को क्रमशःआज दिनांक 29.08.2024 को अभियुक्तगण उपरोक्त को उनके घर से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता अभियुक्तगण -

1.रामचन्दर पुत्र स्व0 रामनाथ उम्र लगभग नि0ग्राम0 खुर्द कुरा थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र उम्र 62 वर्ष

2.लल्लन पुत्र रामनाथ नि0ग्राम कुर्रा कला थाना पन्नूगंज जिला सोनभद्र उम्र 50 वर्ष

3.लालमनि पुत्र स्व0 बीफन नि0ग्राम परना कला थाना पन्नूगंज जिला सोनभद्र उम्र 60 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 विनोद वर्मा चौकी प्रभारी मझगाई थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

2.हे0का0 महेश कुमार सेन थाना चकरघट्टा जिला चन्दौली।

3.का0 रोहित कुमार थाना चकरघट्टा जिला चन्दौली

प्रेस नोट

बाबा कीनाराम जन्मोत्सव महोत्सव के दृष्टिगत दिनांक-01/02/03.09.2024 को लागू होने रूट डायवर्जन प्लान जनपद चन्दौली

बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव के दृष्टिगत रामगढ मठ पर आयोजित मेला में शान्ति व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्नानुसार रूट डायवर्जन किया जाता है। यह रूट डायवर्जन दिनांक-31.08.2024 शाम 08.00 बजे लागू होगा।

1-चहनियां चौराहा की तरफ से एवं धानापुर की तरफ से आने वाले समस्त प्रकार के वाहन जो सराय रसुल तिराहे से बाबा कीनाराम मठ जाना चाहते हैं वे सभी वाहन नवोदय विद्यालय बैराठ की पार्किंग में (खड़े/पार्क) होंगे। नवोदय विद्यालय से बाबा कीनाराम मठ की तरफ किसी प्रकार का वाहन(ट्रैक्टर, बस, चार पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, दो पहिया वाहन) नहीं जायेंगे। सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग नवोदय विद्यालय बैराठ में होगी। सड़क संकरी होने के कारण सराय रसूल तिराहे से बाबा कीनाराम मठ तक जाने वाली सड़क के किनारे किसी भी प्रकार के वाहन खडे नहीं होंगे।

2- चहनिया चौराहा की तरफ से एवं सैदपुर की तरफ से आने वाले वाहन चार पहिया ,तीन पहिया, दो पहिया, जो गुरेरा एवं पलिया की तरफ से बाबा कीनाराम मठ को जाना चाहते हैं, वे सभी वाहन टैम्पू स्टैण्ड तिराहा/यूनियन बैंक रामगढ़ तक ही जा पायेंगे। टैम्पू स्टैण्ड तिराहा/यूनियन बैक के आस-पास बनी प्राइवेट पार्किंग में ही अपना वाहन खड़ा करेंगे, तथा टैम्पू स्टैण्ड तिराहा/यूनियन बैक से बाबा कीनाराम मठ की तरफ किसी भी दशा में नहीं जा पायेंगे।

3- पलिया के तरफ से आने वाले ट्रैक्टर लोकनाथ महाविद्यालय, (आईटीआई कालेज के पास) खड़े/पार्क करेंगे।

4- लक्ष्मणगढ से रंइया चौराहा होकर बाबा कीनाराम मठ की तरफ जाने वाली सड़क को इमरजेन्सी/कन्टीजेन्सी रूट बनाया गया है। इस मार्ग से किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

नोट- बाबा कीनाराम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित मेले में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपने बड़े वाहनों को सराय रसूल तिराहे से ले जाकर नवोदय विद्यालय बैराठ में खड़ा/पार्क करेंगे।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 30.08.2024

थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा गोवध के वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष नौगढ़ की गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/5A/5B/8 गो0निवा0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त पप्पू कोल उर्फ रामसागर पुत्र स्व0 डंगर कोल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम तकिया थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र को आज दिनांक 30.08.2024 को उ0नि0 रामधनी सिंह मय टीम द्वारा समय 12.45 बजे ग्राम डुमरिया तिराहा से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व की घटना:- दिनांक 14.04.2024 को थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते गौवंशों को तस्करी कर ले लाते समय घेराबंदी कर 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा मौके से सहयोगी अभियुक्त फरार हो गया था। पुलिस टीम द्वारा मौके से 04 गोवंश व चापड़ बरामद किया गया था। उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त पप्पू कोल का नाम प्रकाश में आया था।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास का विवरण

1.मु0अ0सं0 23/23 धारा 3/5A/8 गो0निवा0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/5A/5B/8 गो0निवा0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

3.मु0अ0सं0 100/16 धारा 3/5A/8 गो0निवा0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रुरता नि0अधि0 थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

4.मु0अ0सं0 37/23 धारा 3/8 गो0निवा0अधि0 व धारा 11 पशु क्रु0नि0अधि0 थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर

5.मु0अ0सं0 64/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1- पप्पू कोल उर्फ रामसागर पुत्र स्व0 डंगर कोल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम तकिया थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.थानाध्यक्ष श्री कृपेन्द्र प्रताप सिंह मयहमराह थाना नौगढ जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-30.08.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली जनता दर्शन में आए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं

□जनता की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर करे निस्तारण

□जनता से प्राप्त प्रत्येक प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में स्वयं थानाप्रभारियों से वार्ता कर दिए निर्देश

चन्दौली-

जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 30.08.2024 को पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई किया। जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों के आवेदन लेकर उन्हें न्यायोचित/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि फरियादियों की शिकायतों का गुणवक्ता के साथ निस्तारित करना व न्याय दिलाना ही चन्दौली पुलिस की प्राथमिकता है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न थानाक्षेत्रों से आए आवेदकों की शिकायतो को जनसुनवाई के माध्यम से गंभीरतापूर्वक सुना एवं संबंधित राजपत्रित अधिकारी (पुलिस) थाना प्रभारी से स्वयं वार्ता कर आवेदक की शिकायत का निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनसुनवाई के दौरान आने वाले नागरिकों/आवेदकों/ फरियादियों के साथ शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार किया जाए व प्रत्येक आवेदक की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनाकर उसका गुण दोष के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

आज पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद-08, परिवारिक विवाद सम्बन्धित 02, अन्य विवाद-15 कुल-26 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

प्रेस नोट दिनांक-30.08.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा.

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 03.08.2020 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रवि सिंह पुत्र रामध्यान सिंह निवासी रामनगर थाना रामनगर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 276/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री रमाकान्त उपाध्याय (एसपीपी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-30.08.2024 को पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.रवि सिंह पुत्र रामध्यान सिंह निवासी रामनगर थाना रामनगर जनपद वाराणसी को 04 वर्ष का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-30.08.2024

जनपद: चन्दौली

□चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त थाना/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

□संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

□पैदल गश्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

चंदौली:-

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में आगमी त्योंहार के दृष्टिगत जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गश्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

प्रेस नोट दिनांक- 30.08.2024

जनपद चन्दौली

□ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।

□ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पत्तियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।

□ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 03 बिछड़े दम्पत्ति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- *पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया किया जा रहा है। दिनांक 30.08.2024 को ऐसे ही 03 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एंव महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.08.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओ का किया जा रहा निस्तारण

□महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेक्स व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

□सभी का उद्देश्य जनकल्याण व मानव समाज की सेवा करना शासन-प्रशासन महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान व उनके उत्थान व सशक्तिकरण हेतु है प्रतिबद्ध

□समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गो पर चेकिंग के दौरान 06 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावानी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरुप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नही आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रुप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 30.08.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानो पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओ एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्जवला योजना,

सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 06 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक-30.08.2024

□बाबा कीनाराम जन्मोत्सव पर लगने वाले मेला स्थल का जिलाधिकारी चन्दौली व पुलिस अधीक्षक चन्दौली ने किया निरीक्षण, मेला क्षेत्र में व्यवस्था को लेकर सम्बंधित को दिए किया दिशा-निर्देश

आगामी दिनांक 01.09.2024 से संत शिरोमणि अघोराचार्य बाबा कीनाराम का तीन दिवसीय जन्मोत्सव समारोह के दृष्टिगत रामगढ़ मठ पर आयोजित होने वाले मेले में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज दिनांक 30.08.2024 को जिलाधिकारी चन्दौली निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा मेला क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया है। उपरोक्त मेले में शांति व्यवस्था हेतु पीएसी व पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर 06 क्षेत्राधिकारी, 11 निरीक्षक,109 उपनिरीक्षक, 14 महिला उपनिरीक्षक, 337 मुख्य आरक्षी/आरक्षी, 54 महिला आरक्षी, 27 यातायात पुलिसकर्मी, 1 कम्पनी, 02 प्लाटून पीएसी, अग्निशमन दल, लगाया गया है। मेले में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। मेला परिसर में वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैरिकेडिंग की गई है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने जन्मस्थली व तपस्थली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बाबा की स्थली पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम और शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्यूटी में लगाये गए समस्त क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि मेले में सीसी कैमरे व सादे वेश में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए मेले परिसर के बाहर दो पहिया तथा चार पहिया वाहन पार्किंग करने का निर्देश दिया। इस सम्बंध में रूट डायवर्जन भी किया गया है।

प्रेस नोट-दिनांकः 30.08.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 30.08.2024 को कुल 211 वाहनों का चालान करते हुए 3,36,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.08.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 211 वाहनों का चालान करते हुए 3,36,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या	यातायात नियम उल्लघन का प्रकार	चालान की संख्या
1	बिना सीट बेल्ट- 00	
2	ड्राइविंग के समय मोबाईल का प्रयोग- 00	
3	बिना हेलमेट- 95	
4	मोटरसाइकिल पर तीन सवारी- 10	
5	नो पार्किंग- 52	
6	गलत नम्बर प्लेट- 12	
7	लाइसेंस ना होना- 03	
8	गलत दिशा - 08	
9	प्रेसर हॉर्न - 01	
10	बिना फिटनेस- 04	
11	बिना बीमा- 14	
12	बिना परमिट- 01	
13	मॉडीफाइ साइलेंसर - 02	
14	खतरनाक ढंग से वाहन चलाना – 04	
15	अन्य - 05	

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 30.08.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-211

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-3,36,000/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक- 30.08.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 34 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 30.08.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 34 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।